

तारीख हुक्म

प्रार्थना पत्र संख्या 389 / 2025
अनुवान जेटूराम बनाम महेन्द्र राईका

14.11.2025

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रकरण हाजा को आज तारीख पेशी पर लिया जाकर प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 को जरिये विड्रॉल खारिज किये जाने के संबंध में पेश किया। पत्रावली आज तारीख पेशी पर तलब की गई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा अप्रार्थीगण पक्षकार की तलबी स्तर पर लम्बित/विचाराधीन है। पक्षकारान के मध्य में आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से प्रकरण हाजा को जरिये विड्रॉल खारिज करवाना चाहते है।

अतः प्रार्थी का विड्रॉल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 जरिये विड्रॉल खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)